

प्रेस नोट दिनांक 29.09.2020

मु0अ0सं0 141/2020 धारा 504/506/341/376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 29-09-2020 को श्री प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना खेसरहा व पुलिस टीम खेसरहा द्वारा मु0अ0सं0 141/2020 धारा 504/506/341/376 भादवि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत एक अभियुक्त को गिरफ्तार माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार एक अभियुक्त का विवरण

1. रामू पुत्र राजू साकिन भैंसा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उपनिरीक्षक सुभाष प्रजापति थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. मु0 अरक्षी पवन कुमार तिवारी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक- 29.09.2020

छेड़खानी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी" हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 29.09.2020 को श्री महेन्द्र चौहान, थानाध्यक्ष थाना पथरा बाजार के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 97/2020 धारा 354/452 भा.द.वि. में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा. न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

जलील अहमद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी ग्राम खोरिया शिवबक्श थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. SO श्री महेन्द्र चौहान, थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. उ0नि0 श्री अशोक कुमार पाल, थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. का0 धर्मेन्द्र सिंह, थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 29.09.2020

दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 29.09.2020 को श्री रामअशीष यादव, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में मु.अ.सं. 248/20 धारा 354(क), 452, 504, 506, 427 भा.द.वि. व 7/8 पोस्को एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों को उ.नि. अजयनाथ कन्नौजिया मय टीम के द्वारा मुखबीर की सूचना पर समय करीब 09.15 बजे गनेशपुर तिराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. जुबेर पुत्र याकूब निवासी चम्पापुर थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. कुट्टुस पुत्र लल्ला निवासी चम्पापुर थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

- 1- उ.नि. अजयनाथ कन्नौजिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
- 2- हे.का. सुरेश चन्द्र गिरी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
- 3- का. प्रदुम्न कुमार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 29-09-2020

तीन बोरी नेपाली मटर के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश, श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश, श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, शोहरतगढ़ के कुशल पर्यवेक्षण, श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.09.2020 को रोकथाम तस्करी अभियान के दौरान समय 10:20 बजे बड़नी थाना ढेबरुआ पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को 03 बोरी नाजायज़ नेपाली मटर कीमती रुपया 6000/- के साथ गिरफ्तार कर कस्टम अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

अभियुक्त - रहमतुल्ला पुत्र शमशुल्ला सा.लक्ष्मीनगर थाना कृष्णानगर जिला कपिलवस्तु नेपाल ।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 03 बोरी में कुल 75 किग्रा. नेपाली मटर ।

पुलिस टीम का विवरण -

- 1- महेश सिंह, प्रभारी चौकी बड़नी थाना ढेबरुआ ।
- 2- हे. का. विजय यादव
- 3- हे. का. हरेन्द्र यादव
- 4- हे. का. बाबूराम यादव